न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आ रा स

प्रकरण सं0 : 50/2022

1. सुलतान पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. बृह्मानंद पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. बलवन्ती पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. कमला पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
6. कौशल्या पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
7. बिदामी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
8. निहालसिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
9. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
10. रोहताश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
11. रोशनी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
12. संदीप कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
13. कविता कुमारी पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. भूराराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. रामकुमार पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बावत

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव- **प्रार्थी**

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी- **अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 30.1.23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 बरवाली के मु0न0 56 के किला न0 4, 7, 14 की कुल 0.759है0 नहरी खातेदारी रावताराम पुत्र हरचंदराम के नाम अन्य खातेदारी के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त वाद भूमि की बाबत रावताराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा खुल्ला दिनांक 12.11.1991 को वसीकानवीश से बरूबरू गवाहान लिखवाकर उक्त तीन बीघा भूमि को अपने सगे काका के बेटे इन्द्राज व मोमन पि0 हरूराम कौम जाट निवासी नेठराना के नाम बहिस्सा बराबर कर दी । उक्त वसीयतनामा रावताराम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व रजामंदी से लिखवाकर तथा उसे पढ सुन समझकर सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये। रावताराम की दिनांक 16.10.2010 को मृत्यु हो चुकी है। रावताराम की फौतगी के बाद इन्द्राज व मोमन उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। तथा उपरोक्त वसीयतनामा के अनुसार वाद भूमि इन दोनों के नाम होनी चाहिए थी लेकिन रावताराम के तीनों वारिसान अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने छुपे तौर पर उक्त वाद भूमि का नामान्तरण दिनांक 06.04.2011 को ग्राम पंचायत नेठराना में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। वर्तमान में खाता सं0 81/58 के मु0न0 56 के किला न0 4, 7, 14 की कुल 0.759है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो रहन है। उक्त वाद भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण जो इन्द्राज व मोमन के वारिसान है का बना हुआ है। अतः वसीयतनामा के अनुसार अप्रार्थी का नाम कलमजन कर प्रार्थीगण जो इन्द्राज व मोमन के वारिसान है का नाम वाद भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

...ता की भूमि का वसायतनामा के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा पाने व अप्रार्थीगण सं0 ... जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये ...टिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना ... प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि ...ही मौजा चक 3 बरवाली के मु0न0 56 के किला न0 4, 7, 14 की कुल 0.759है0 नहरी ...तेदारी रावताराम पुत्र हरचंदराम के नाम अन्य खातेदारी के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज ...थी। उक्त वाद भूमि की बाबत रावताराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा खुल्ला दिनांक 12.11.1991 को वसीकानवीश से बरूबरू गवाहान लिखवाकर उक्त तीन बीघा भूमि को अपने सगे काका के बेटे इन्द्राज व मोमन पि0 हरूराम कौम जाट निवासी नेठराना के नाम ...हिस्सा बराबर कर दी । उक्त वसीयतनामा रावताराम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व रजामंदी से लिखवाकर तथा उसे पढ़ सुन समझकर सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये। रावताराम की दिनांक 16.10.2010 को मृत्यु हो चुकी है। रावताराम की फौतगी के बाद इन्द्राज व मोमन उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। तथा उपरोक्त वसीयतनामा के अनुसार वाद भूमि इन दोनों के नाम होनी चाहिए थी लेकिन रावताराम के तीनों वारिसान ...प्रार्थी सं0 1 ता 3 ने छुपे तौर पर उक्त वाद भूमि का नामान्तरण दिनांक 06.04.2011 को ग्राम पंचायत नेठराना में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। वर्तमान में खाता सं0 81/58 के मु0न0 56 के किला न0 4, 7, 14 की कुल 0.759है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो रहन है। उक्त वाद भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण जो इन्द्राज व मोमन के वारिसान है का बना हुआ है। अतः वसीयतनामा के अनुसार अप्रार्थी का नाम कलमजन कर प्रार्थीगण जो इन्द्राज व मोमन के वारिसान है का नाम वाद भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि को वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा पाने तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला पाबन्द किया जावें कि वें वादाधीन रकबे की यथास्थिति बनायें रखे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता जीवन पर्यन्त ही अप्रार्थीगण के साथ रहते थे। अप्रार्थीगण के पिता ने कभी भी इन्द्राज व मोमन के पक्ष में ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। अप्रार्थीगण के पिता से छल–कपट व झुठे तौर पर प्रार्थीगण के पिता इन्द्राज व मोमन ने एक वसीयत फर्जी तरीके से अपने पक्ष में लिखवा ली जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण के पिता को नहीं थी। लेकिन बाद में इन्द्राज व मोमन की वाद भूमि को लेकन धमकियों आदि से पता चला तो अप्रार्थीगण के पिता ने बरूबरू गवाहान विधिवत तरीके से उक्त वसीयत को दिनांक 31.03.1993 को ही खारीज करवा लिया। उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण के पिता के बाद विरासतन दिनांक 10.03.2011 को अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। वर्तमान में अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृश्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी वर्तमान में वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त नामान्तरण दिनांक 10.03.2011 को तस्दीक हुआ है। नामान्तरण तस्दीक से लेकर प्रार्थना पत्र पेश तक प्रार्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायायल में की गई कोई कार्यवाही न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा भी 1993 में प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया एक वसीयतनामा को खारीज किया हुआ है। इस प्रकार विरोधाभास की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) ... (जिला-...)

में कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज अप्रार्थीगण के द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में किये गये वसीयतनामा को नामान्तरण दर्ज होने के बाद पहले किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। चुंकि अप्रार्थीगण वर्तमान में पिता के नाम दर्ज भूमि में खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रतीत होता है प्रार्थीगण ने को छुपाकर महज अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग करने से वंचित ने के आशय से आवेदन पत्र अस्थाई निषाधाज्ञा पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला क्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खिलाफ व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलनः— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक व महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि के खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करवा लेने से अप्रार्थीगण के हक हिस्सो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग—उपभोग नहीं कर पाने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित नहीं होने कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राज.) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
भादरा, जिला हनुमानगढ़